—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 122/2018

उनवान

सुरजकरण मुतबन्ना सुखदेव जाति जाट निवासी ग्राम धोलाभाटा (लोहरवाडा), नसीराबाद
——वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. बदामी पत्नी बालू
2. रामराज,
3 मंगला,
4. जमनी,
5. बरजी,
6. हेमराज उर्फ हेमा पि. बालू,
7. गोपी पुत्री बालू
8. रामदेव पुत्र सुगना **(तर्क)** समस्त जाति जाट नि. धोलाभाटा, लोहरवाडा नसीराबाद,
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 7 अनुपस्थित, 9 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 13.5.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 4456 रकबा 0—2—0 के हाल खसरा नम्बर 4832/6438 रकबा 0.01 किस्म चाह वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज की खातेदारी में था। उपरोक्त चाह से पक्षकार अपनी आराजी की सिंचाई करते है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त चाह को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किय जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 8का नाम तर्क किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

वाद के समर्थन में अधिवक्ता वादी ने [illegible] तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधि[illegible]गण व राज.पैरोकार की बहस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:14:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मनन किया। ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 4456 रकबा 0–2–0 वादी के पिता व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज था। वंर्किग खसरा नम्बर 4456 के हाल खसरा नम्बर 4832/6438 बने है मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर के अन्य हाल खसरा नम्बर भी बने है। वादी ने समस्त हाल खसरा नम्बर की स्थिति स्पष्ट नही की है। आराजी चाह पर कब्जे के तथ्य सिद्व करने हेतु वादी द्वारा कोई साक्ष्य भी पेश नही की है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी चाह सिवायचक खाते में दर्ज है। साबिक राजस्व अभिलेख के समस्त खसरा नम्बर की स्थिति स्पष्ट नही करने के कारण वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 4456 रकबा 0–2–0 के हाल खसरा नम्बर 4832/6438 रकबा 0.01 किस्म चाह की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:14:07 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सूरजकरण बनाम बदामी वगै

दावा बाबत :—88, 188, 92 ए राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर —122/2018
पेश करने की दिनांक —14.08.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :—

ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 4456 रकबा 0—2—0 के हाल खसरा नम्बर 4832/6438 रकबा 0.01 किस्म चाह की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 5 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:14:07 IST
Reason: SelfAttested